14.54 hrs

Title: Discussion on the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Bill, 2000 moved by Shri Nitish Kumar on the 12th March, 2001. (Bill passed.)
0

MR. CHAIRMAN : Now, we will go on to item no. 14, to further consider the motion moved by Shri Nitish Kumar on Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Bill. The total time allotted is four hours. We have already consumed one hour and eleven minutes. So, the time now left for completion of this discussion is two hours and forty-nine minutes.

Prof. Ummareddy Venkateswarlu was on his legs. Now, he is not present. So, Shri Giridhari Lal Bhargava.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, मैं पौधा किस्म और कृाक अधिकार, संरक्षण विधेयक, 2000 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मेरी सरकार की ओर से रखा गया है। कृाि राज्य का विाय है और केन्द्र राज्यों से परामर्श किये बिना इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता।

फिर भी यह अन्तर्राज्यीय प्रश्न है। केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि जो बात अच्छी लगती हो उस बारे में राज्य सरकार की राय ले। आज सरकार इस बिल को यहां लाई है। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। टीआरआईसी के बावजूद इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और फिलिपीन्स में अभी भी पौधे की किस्मों के संबंध में कानून नहीं बना है। भारत ने इस संबंध में पहल की है। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में विचार करके अच्छा किया।

कृाकों द्वारा बीजों के पंजीकरण से संबंधित यह बिल है। संवर्धन के रूप में ऐसे बीजों का उत्पादन करना लगभग असंभव होगा। नवीनता, विशिटता, एकरूपता तथा स्थिरता संबंधी सभी चारों मापदंड पर यह बिल खरा उतरता है।

भारतीय अनुसंधान परिाद ने यह कार्य प्रारम्भ किया है और कपास, मक्का, टमाटर के संबंध में एक बीज तैयार किया है तथा इसकी खेती भी प्रारम्भ की है। इस खेती का अमेरिका में विरोध होने लगा है। आज किसानों के पास 350 प्रकार के बीज हैं। बीज किसान पैदा करें यही मेरा निवेदन है। भारत में जैव विविधता के अपार भंडार हैं लेकिन इस तरफ प्रॉपर ध्यान न देने के कारण जैव विविधता तेजी से लुप्त हो रही है। हम रिकॉर्ड उत्पादन करने में सक्षम हैं लेकिन वे दोबारा उगाए नहीं जा सकते और उनका दोबारा अंकुरण नहीं हो सकता। आप इस संबंध में विचार करें। जन मानस में यह भावना दृढ़ होती जा रही हैं कि उर्वरकों के अधिकाधिक उपयोग से मान व स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है लेकिन असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसानों के मन में यह बात भी है कि अमेरिकन खाद के आने से ठीक से फसल पैदा नहीं होगी। किसानों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे सभी प्रकार के बीज यहां पैदा कर सकें। अमेरिका से आने वाले बीजों के प्रति किसी में चिंता पैदा न हो, आप इसका ध्यान रखें। अमेरिका के बीज आएं और हम उसे उगाएं। भारतर्वा के किसान सब प्रकार के बीज स्वयं ही पैदा और उपयोग करें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा फर्ज है कि मैं इस बिल का समर्थन करूं। पशुओं का जीन पौधों में डाल कर उसकी खेती अमेरिका में की जाती है। इसका अब विरोध होने लगा है। हम भारतर्वा की जनता को भी इस बारे में शिक्षित करें। आशा है मंत्री जी मेरी कही बातों पर गम्भीरता से विचार करेंगे। केन्द्र सरकार किसानों में बीजों के प्रति विश्वास पैदा करे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, डबल्यूटीओ का जो एग्रीमैंट हुआ उसमें एग्रीकल्चर, ट्रिप्स, ट्रिम्स और चौथा गैट जोड़ दिया। इसमें एग्रीकल्चर को जोड़ना सबसे खतरनाक था। यह किसानों के खिलाफ है। इसके बाद ट्रेड रिलेटिड इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मामला आया। सरकार ने दावा किया कि यह विधेयक लाकर किसानों को प्रोटैक्शन देंगे लेकिन इससे किसानों का बहुत नुकसान होने वाला है।

15.00 hrs.

जैसा हमारे पुरखे प्राचीनकाल में हल्दी, आंवला, बासमती चावल और अन्य चीजों का अनुसंधान करते आ रहे थे, उन्हीं चीजों का उत्पादन हमारा आज का किसान यहां कर रहा हैâ€¦(व्यवधान).. उन्हीं चीजों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी अमरीका हल्दी, बासमती चावल को पेटेंट करा रहा है। हमारे यहां बनने वाली कढ़ी जो दही और बेसन से बनाते हैं, जापान उसे पेटेंट करा रहा है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि इस तरह का यह खतरनाक कानून आप लाये हैं। एग्रीमेंट होने के बाद हमारा किसान लड़ता रहेगा जो किसानों के बस में नहीं है। भारत सरकार भी लड़ रही है लेकिन इस मामले में अंतर्राट्रीय न्यायालय का क्या फैसला हुआ है, हम नहीं जानते।

सभापति महोदय, आंवला, कद्दू, भिण्डी, परवल आदि हमारे पुरखों ने पैदा किया है। आलू विदेश से आया था। हमारे यहां गेहूं, चना, जौ, कंदमूल, मक्का आदि पुराने समय से पैदा होते रहे हैं। इनमें कई चीजें ऐसी हैं जो कम पानी और कम समय में पैदा होने वाली हैं। इन सब चीजों का अनुसंधान हमारे पुरखों ने किया जिसे आज का किसान पैदा कर रहा है। आज कुछ बहुराट्रीय कम्पनियां छल कर रही हैं और हमारी सब चीजों को पेटेंट कराने जा रही हैं। कुछ विकसित देश हमसे हमारी चीजें छीन लेना चाहते हैं। किसानों को प्रोटैक्शन देने के नाम पर यह विधेयक लाया गया है, लेकिन किसानों पर कोई असर पड़ने वाला है?

सभापति महोदय, इस सदन में यह सवाल उठाया गया तो मामला कमेटी को रैफर कर दिया गया। कमेटी ने बहुत मेहनत की लेकिन उसके बावजूद जो विधेयक यहां लाया गया है, उसमें किसानों को उत्पादक माना गया है, उसे संवर्द्धक नहीं माना गया। बिहार में समस्तीपुर कृाि फार्म पर मशीन से मकई के बीज का किसान ने उत्पादन किया, अमरीका को चुनौती दी और उसे पछाड़ने का काम भी किया। किसान ने नया अनुसंधान किया लेकिन इस पौधा संरक्षण विधेयक में उसे उत्पादक माना गया, संवर्द्धक नहीं कहा गया। यह बहुत ही खतरनाक बात है।

सभापति महोदय, हमारे यहां का किसान नये नये अनुसंधान करता रहा है। यदि एक किसान कोई अच्छी चीज पैदा करता है तो बगल वाला किसान उससे बीज लेकर उस वस्तु का उत्पादन करता रहा है। ऐसा नहीं सोचा गया कि केवल उस किसान का अधिकार था लेकिन इस विधेयक के माध्यम से किसान को यह हक नहीं मिलेगा कि वह दूसरों को अच्छा बीज बेच सके। देहातों में यही होता रहा है कि यदि कोई किसान अच्छे बीज से अनाज पैदा करता, तो पड़ोसी उसका बीज लेकर उसी प्रकार का फल,सब्जी या अनाज पैदा करता रहा है।

सभापति महोदय, डब्लयू.टी.ओ. का समझौता हुआ है, ट्रिप्स पेटेंट कराया लेकिन बहुराट्रीय कम्पनियों की वजह से इन किसानों का भला होने वाला नहीं है। हमारी नई कृाि नीति के अंतर्गत बहुराट्रीय कम्पनियां बाहर से आकर यहां की जमीन लीज़ पर ले लेंगी। हमारा भारत कृाि प्रधान देश है। यह कहा गया है कि यहां के 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं।

उसके बाद अब हमारी अमरीका और विदेश की मल्टी नेशनल कम्पनीज हमारी खेतों को लीज पर ले लेंगी और अपना बीज लायेंगी। उसमें दो प्रकार के बीज होंगे। यह बहुत खतरनाक बात है। वे वहां से बांझ बीज लायेंगी। उसे अंग्रेजी में टर्मिनेटर बीज कहते हैं। उससे एक बार उत्पादन हो जायेगा और उससे जो बीज होगा, वह दूसरी

जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसे टर्मिनेटर बीज कहते हैं। इतना भारी छल किया जा रहा है। यहां का निश्छल किसान, इन्नोसैन्ट किसान, मेहनत करने वाला किसान कहां से टर्मिनेटर बीज की जांच करेगा कि यह कौन सा बीज है। टर्मिनेटर जैसा खतरा हमारे सामने है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई उपाय है कि आप यहां के किसानों को टर्मिनेटर बीज के खतरे से बचा सकें। किसान जो यहां उत्पादन करेगा, अंमरीका से हाई ब्रीड सीड के नाम पर चकमक बीज महंगे दामों पर आ रहा है। कहा गया है कि इससे बड़ा-बड़ा टमाटर होगा। सभी लोग जानते हैं और सेब खरीदकर खाते हैं, हमें एक आदमी ने सेब लाकर दिया। वह इतना बड़ा सेब था और उस पर गोल कागज में वाशिंगटन लिखा हुआ था। लेकिन उसका स्वाद हिंदुस्तानी सेब जैसा नहीं था। उसमें कोई गुण नहीं था, पता नहीं कौन सी दवा पीये हुए था। लेकिन देखने में बड़ा चकमक था। मेरे साथ बूटा सिंह जी थे, वह देश-विदेश में घूमे हैं। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में सेब नहीं होता। अब पता नहीं कहां-कहां से सेब यहां ला रहे हैं। हमारे देश के लोग मानसिक गरीबी, दासता में रहे हैं, हमारा देश बहुत दिनों तक गुलाम रहा है। इस वजह से लोग अभी भी मानसिक गरीब बने हुए हैं। समझते हैं कि विदेश से आई हुई चीज बहुत अच्छी है। जैसी-जैसी चीजों का यहां इस्तेमाल हो रहा है, सब देख रहे हैं कि किसान तबाह हो रहा है। किसान को संवर्धक क्यों नहीं माना गया है। आपकी क्या लाचारी है। इस विधेयक में किसान को संवर्धक और संरक्षक का अधिकार आपने क्यों नहीं दिया है। कहते हैं कि किसान को अधिकार दे दिया है। आपने किसान को केवल उत्पादक का अधिकार दिया है। वह मल्टी नेशनल कम्पनी का बीज खरीद कर उत्पादन करें, उसे बढ़ायें नहीं, फैलाये नहीं, यह कितने बड़े खतरे की बात है। इसे सरकार स्पट करे कि इस तरह के खतरनाक कानून से खेती पर निर्भर किसानों के हितों का कैसे संरक्षण हो सकेगा। बाहर की मल्टी नेशनल कम्पनीज पर हम किस प्रकार निर्भर रहेंगे। आज इस तरह की स्थिति बन रही है कि दुनिया में हिंदुस्तान की जो फूड सिक्युरिटी है, भोजन की सुरक्षा का प्रबन्ध है, इस स्थिति के मुताबिक हिन्दुस्तान फूड वैपन का शिकार हो सकता है। सौ करोड़ की आबादी वाले देश में फिर से अनाज की कमी हो जायेगी, किसान निरुत्साहित हो जायेंगे । यदि किसानो के अधिकारों का संरक्षण नहीं होगा तो यही होगा। मल्टी नेशनल कंपनीज से हमारा किसान कन्टैस्ट नहीं कर सकता। चकमक की दुनिया रिझा सकती है। वह आर्काक पैक बना सकते हैं। दूध और दही पैक बंद करके लायेंगे। लिख देंगे कि इसमें सभी तरह का विटामिन है। जो हमारे पुराने किसान झबही, बाल्टी और टेकान में दूध लाकर बेचते थे, उन्हें कौन पूछेगा। पैक वाला दूध और दही बिकेगा। बाहर के मुल्क हाई ब्रीड बीज लिखेंगे और लिखेंगे उसमें ए.बी.सी.डी विटामिन है। सब इस तरह से लिखेंगे। हमारा किसान मल्टी नेशनल कंपनीज से कन्टैस्ट नहीं कर सकता। इसलिए सरकार को चाहिए कि डब्ल्यू.टी.ओ. का जो हमारा एग्रीकल्चर का फंड है और आज हमारा किसान ट्रिम्स, ट्रिप्स और गैट समझौते से घिरा हुआ है इसलिए हमारे देश में इनसे सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। सिएटल में कुछ छूट हुई थी। अभी हाल में जो कांफ्रैन्स होने वाली है, उसमें सबको एकजुट हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं 47 पिछड़े देशों का उसमे नाम लिखा गया है। उन्हें 15-20 वर्षों तक छूट होगी। लेकिन हमारे देश का नाम उनमें नहीं है।

हमारे यहां का जनप्रतिनिधि जाता है तो क्या देखते हैं कि वह आँख मूँदकर वहां दस्तखत करके चला आता है। बाकलम खास पढ़वाकर सुन और समझ लिया और बाकलम खास दस्तखत बना दिये। इस तरह से देश के हितों और किसानों के हितों का संरक्षण कैसे हो सकता है? 47 देशों का जो नाम आया है कि उनका संरक्षण रहेगा, हिन्दुस्तान का नाम उसमें नहीं है। कैसे हम इस तरह के बिल का समर्थन कर दें जब हमें मालूम है कि किसानों के अधिकारों का इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। इसमें लिखा है कि किसानों के अधिकारों के संरक्षण का यह विधेयक है। ऐसा नहीं है। किसानों के अधिकारों को न केवल समाप्त करने वाला यह विधेयक है बल्कि किसान को उद्योग नहीं मान रहा है, इससे किसानों का संवर्द्धन नहीं होगा, इस बिल से किसानों के अधिकारों की रक्षा नहीं होगी। इसलिए जो हमारा पुराना जर्म प्लास्मा है, पुराना जो जैविकी अनुसंधान पुरखों का किया हुआ है, उसके संरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं है और फिर किसान के विकास और तरक्की करने का इसमें कोई उपाय नहीं है। इसलिए सरकार इस पर गंभीर हो और आगे जो WTO का समझौता होने वाला है, हाल ही में बैठक होने वाली है, उसमें मजबूती से हिन्दुस्तान के किसानों के पक्ष को रखे, नहीं तो किसान निराश्रित तो है ही मगर बाढ़, बरसात और प्रकृति से लड़ते-लड़ते वह लड़ाकू भी हो गया है। हम प्रकृति से लड़ना जानते हैं तो किसान विरोधी सरकार से भी लड़कर उनके छक्के छुड़ाने की ताकत रखते हैं और उनके छक्के छुड़ाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को सुधार करके किसान के हित में लाया जाए, अन्यथा इस रूप में हम इसका विरोध करते हैं।

श्री शंकर सिंह वाघेला (कपड़वंज) : महोदय, रघुवंश प्रसाद जी ने बहुत सही बातें सदन के सामने रखी हैं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से इस बिल का विरोधी हूं लेकिन जेपीसी का मैं मैम्बर था, पार्टी की नीति है, देश को चलना है, और हम सबको चलाना है। दुनिया छोटी होती जा रही है, डब्लू टी ओ से जुड़े रहना है और प्रैशर के नीचे काम करना है। मैं चाहूंगा कि प्रैशर ऐसा न हो कि किसानों को मुश्किलें हो जाए। अभी बताया गया कि किसान गांवों में रहता है, खेती पर निर्भर हमारा देश है, देश कुछ सालों पहले 80 परसेंट क़ृषि पर निर्भर था तो आज शायद 60 या 55 परसेंट रह गया है। आने वाले दिनों में यह और कम होता जाएगा। धीरे-धीरे हमारी काश्तकारी छोटी होती जा रही है और इस बिल का नाम तो प्रोटैक्शन ऑफ प्लांट वेराइटिस एंड फार्मर्स राइट्स बिल है लेकिन फार्मर्स के राइट्स का ध्यान इसमें सही अर्थ में नहीं रखा गया है। इसी संदर्भ में कुछ बातें कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदया, इस बिल पर जो समिति बनी थी उसने सभी राज्यों का दौरा किया। जहां मैं गया था वहां मैं सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि किसी भी राज्य में कोई भी किसान संगठन ऐसा नहीं था जिन्होंने इस बिल का विरोध न किया हो और माफ करिये 'स्माल इज़ ब्यूटिफुल '। छोटे किसान जो आते थे उन्होंने भी अपनी बात कुछ ने लिखकर दी, कुछ ने लिखकर नहीं दी, लेकिन सभी छोटे किसानों ने जो अपने गांव और खेत में खेती करता है, सबने इसका विरोध किया। एक भी राज्य का किसान इस बिल से खुश नहीं है, यह मैं रेकार्ड पर रखना चाहता हूं।

यह ठीक है कि हमारी एनडीए की सरकार में कई पार्टियां हैं। मैं बीजेपी के मित्रों को पूछना चाहता हूं कि पैरिस कनवेन्शन ऐक्ट की विरोधी ये पार्टी जिसमें मैं भी कुछ साल पहले था, डटकर इन्होंने इसका विरोध किया। आज का हो गया है।

अब आपको सरकार चलाने का जौ मौका आया, तब आज भी भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और आज भी स्वदेशी जागरण मंच, जो सरकार का अपना सिस्टर कंसर्न है, उससे अभिप्राय लीजिए कि क्या हम सही दिशा में देश को आगे ले जा रहे हैं? कई साल तक जो संस्कृति की बात करते थे, जिस संस्कृति का स्वदेशी जागरण मंच आज भी विरोध करता है, भारतीय किसान संघ आज भी डटकर खुलेआम विरोध करता है और प्राइम मिनिस्टर और पूरी सरकार का विरोध करता है, इसके बावजूद भी डब्ल्यू.टी.ओ. में हम शामिल हैं। आगे आने वाले दिनों में इनकी मेहरवानी भी हमें चाहिए, इसलिए हम दबाव में बिल पास कर रहे हैं, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है।

स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्री आज खत्म होती जा रही हैं। ग्लोबेलाइजेशन और मॉडरनाइजेशन के नाम पर बैंक्स के फ्रॉड्स, स्कैम के ऊपर स्कैम, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और छोटे यूनिट्स पूरे देश में आज बीमार हैं या बंद हो गये हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट बेरोजगार हो गये हैं और जो उनमें छोटी यूनिट्स में जो 5-15 मजदूर काम कर रहे थे, वे भी बेरोजगार हो गये हैं। यानी चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या बड़ी इंडस्ट्री हो या टाटा बिड़ला हो, इनको भी दुनिया के आगे, मल्टी-नेशनल कंपनीज के आगे सरेंडर होने का कम्पलशन है। अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान पर कई सालों तक शासन किया। हमारे देश को आज़ाद हुए आज 55 साल हो गये हैं लेकिन आज भी गांव में किसान अपने खेत में बैल और हल चलाता है। वह आज़ादी हमारी पोलिटिकल आज़ादी थी। लेकिन छोटी, मध्यम या बड़ी इंडस्ट्री सरकार की मेहरवानी पर जिंदा रहने वाली इंडस्ट्री आज मर रही हैं। इनके ऊपर लोग जी रहे हैं, वे भी मर रहे हं क्योंकि वे खुद मर रहे हैं तो उनके ऊपर जीने वाले लोग नहीं जी सकते। इसलिए जो इंडस्ट्रियल हालत है, इससे बत्तर एग्रीकल्चर हालत है, वह ठीक नहीं है। बड़ी-बड़ी फर्म्स अमरीका में लाखों एकड़ जमीन में हैं और वहां पूरी टैक्नीकल एग्रीकल्चर है। हमारे यहां हमारा किसान आज भी खेत में हल और बैल चलाता है। उसकी बीबी और बच्चे खेती पर जिंदा हैं और वे भी उसके साथ काम करते हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में यांत्रिकी खेती नहीं हो रही है। आज भी गांव में एकड़ के नीचे छोटे पीसेज एग्रीकल्चर है, बिजली नहीं है। आज भी किसान जो एक्सैस प्रोडक्शन करना है, उसका उचित दाम उसे नहीं मिलता। फर्टिलाइजर्स हो या बिजली हो, सब महंगी होती जा रही है। जब किसान अपना माल बाजार में बेचने के लिए जाता है तो एक साथ प्रोडक्शन होता है और उसको रखने की सुविधा नहीं है, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है। उचित भाव नहीं मिलते । जब बारिश बरसती है तो सरकार कहती है कि हमारा सीजन अच्छा है। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी मेहरवानी से भी तो कुछ अच्छा होना चाहिए। इतने साल हो गये चाहे इस पार्टी की

सरकार हो या दूसरी पार्टी की सरकार हो, किसान की आज भी वही हालत है। 55 साल के बाद भी आज भी किसान वही हल और बैल चलाता है। उसको उसकी प्र ोड्यूस का सही दाम भी नहीं मिलता है। हिन्दुस्तान के पास इतनी किस्में हैं कि अगर सही ढंग से उनका पेटेंट मिल जाये तो हिन्दुस्तान जैसा रुपये वाला देश दुनिया में कहीं नहीं है। उड़ीसा के लोग, कालाहांडी के लोग आज भी भूखे मर रहे हैं लेकिन ट्राईबल एरिया के लोग ऐसी वनस्पति निकाल लेते हैं कि जो पन्द्रह दिन तक भी अगर कुछ खाने को नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है। इसी तरह से ऋषि मुनि पहले जिया करते थे और वे सिर्फ प्राण वायु और जडी बूटियों पर जिंदा रहते थे। इतनी वनस्पति हमारे देश में हैं जकि जिन्हें खाने के बाद आदमी दिनों तक भूखा भी रहे तो भूख नहीं लगती।

नान फर्टिलाइजर का प्रयोग करके बहुत सी चीजें पैदा की हैं, फ्रूट्स पैदा किए हैं। ये सब चीजें भी बाहर के देशों की पैटेंट हो जायेंगी, तो हमारे किसानों का क्या होगा। हिन्दुस्तान को अपनी चीजों को संभाल कर रखना चाहिए और पैटेट के मामले में किसानों का मार्गदर्शन करना चाहिए। मशीनरी उपलब्ध करानी चाहिए, अगर कोई किसान पेटेंट कराना चाहता है, तो वह करा सके। पेटेंट कराने के बाद अगर कोई उसका उपयोग करता है, तो कड़ी सजा होनी चाहिए। महोदया, मैं गुजरात से आता हूं। इस राज्य की काश्तकारी इजराइल की काश्तकारी से बहुत अच्छी है। हमारे राज्य में दो फीट लम्बी लौकी पैदा होती है। एक-एक किलो के टमाटर, पैदा होते हैं। एक-एक, दो-दो किलो के बैंगन पैदा होते हैं। हमारा राज्य कृषि के अनुसंधान में एक नम्बर है। हमारे यहां कलर्ड काटन पैदा होती है। ऐसे फार्मर्स के उत्पादन का पेटेंट नही होगा, तो उनको नुकसान हो जाएगा। इन चीजों का पेटेंट हमारे देश के किसानों के नाम से होना चाहिए। इन बातों को इस बिल में रखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, पौधा किस्म और कृषक अधिकार, संरक्षण विधेयक, 2000, जो सदन में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है, उसके पक्ष में अपनी बात कहने के लिए खड़ी हुई हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

महोदया, में अपने से पूर्व वक्ताओं के विचारों को सुन रही थी । पहली बार इतनी मेहनत करके संसदीय सयुक्त समिति ने इस विधेयक की गहराई में जाकर, अध्ययन करके, इस विधेयक का प्रारुप तैयार करके दिया है। उनकी मेहनत वास्तव में भारत के किसानों के लिए बहुत हितकारी होगी। पौधो की किस्म और संरक्षण के ऊपर अधिकार किसानों का हो, इस बात पर पहली बार विचार किया गया है.। विगत पचास वर्षों में किसानों के प्रति जो चिन्ता होनी चाहिए थी, इस चिन्ता के साथ-साथ किसानों की प्रगति के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में यदि विचार किया जाता, तो शायद हमारे किसानों में से कुछ किसान ऐसे निकलते, जो वैज्ञानिक ढंग से कृषि को अपनाते और आज कृषकों की जो दयनीय स्थिति है, दयनीय आर्थिक स्थिति है, उससे उभरने में उनकी सहायता होती, तो ऐसा नहीं हुआ होता ।

भारत जगत गुरु है। इतिहास में ऋषियों, मुनियों और विद्वानों ने जीवों के संदर्भ में बहुत कुछ लिखा है। जैव विविधता के विाय में जितना ज्ञान भारतर्वा में समाहित है, उतना ज्ञान संसार के किसी भी देश में नही है। मैं एक श्लोक के माध्यम से बताना चाहूंगी कि धरती पर जीवों की संख्या कितनी है। लेकि एक-एक, दो-दो लाख पौधों की संख्या की दुहाई देकर संसार में देश अपने आप को उच्च स्थानों पर बैठाने की कोशिश करते हैं। श्लोक इस प्रकार है - स्थावरं विन्शती लक्षंच, यानि प्रकृति में पेड़-पौधों और वनस्पतियों की संख्या 20 लाख है; जलज नव लक्षंच - यानि जल में रहन वाले जीव 9 लाख हैं; कुर्मश्य रुद् लक्षकंच यानि रैंगने वाले जीव 11 लाख है; दश लक्षं च पक्षीणां यानि पक्षियों की संख्या 10 लाख है और इसी प्रकार त्रिन्शति लक्षं पशुनांच यानि पशुओं की संख्या 30 लाख है तथा चतुर्थ लक्षं च बानरा यानि बानरों की संख्या 4 लाख है। इस तरह से 84 लाख जीवों की संरचना का साक्षी हमारा पुराना इतिहास है. हमारे पौराणिक ग्रन्थ हैं।

जिन्होंने यह साक्षी दी है। कल पशुधन आयात पर जब चर्चा हो रही थी तो मेरे मन में वेदना थी कि पशुधन आयात में मात्र पशुओं को गिना जाना चाहिये था, जब कि उसमें जल में रहने वाले जीवों को भी गिना जा रहा था। उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति में उन्हें आंका जा रहा था, उसी प्रकार पौधा संरक्षण विधेयक के अंतर्गत हमारे विद्वान सांसद बंधु बहुत सीमित दायरे बना रहे थे। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पौधे की किस्म का संरक्षण और उसका अधिकार देने की संरचना पर हमारी स्थाई समिति ने प्रतिवेदन दिया है। इसमें सारी शंकाओं का समाधान किया है। इस प्रतिवेदन के पृठ 75 पर उन्हेंने स्पट कर दिया है। मेरे वरिठ सांसद भाई रघुवंश बाबू की शंका का समाधान एकदम स्पट कर दिया है। उसमें लिखा है कि शंकाओं के निराकरण के लिए यदि यह घोाित किया जाता है कि किसी नयी किस्म के लिए सं वर्धक के अधिकार को मंजूर करने के लिए या देश में ऐसी किस्म को शासकीय रजिस्टर में प्रविट करने के लिए किसी आवेदन को फाइल करना है तो उस किस्म को आदेवन की तारीख से सामान्य ज्ञान की बात होना समझा जाएगा। यदि आवेदन से यथास्थिति संवर्धन का अधिकार मंजूर हो जाता है तो ऐसी किस्म को, ऐसे शासकीय रजिस्टर में प्रविट कर दिया जाएग। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य की जो शंका है, जिसके बारे में उन्होंने संकेत देकर सरकार को सतर्क करने की बात कही थी उनका इससे समाधान हो गया होगा। विदेशो के अधिपत्य की चिन्ता बहुत की गई है, जब कि विदेशों का अधिपत्य तो हमारे ज्ञान के आधार पर हो रहा है। ि वदेशों में आज भी पांच किलो का आलू तैयार किया जा सकता है, लेकिन भारतीय आलू की गुणवत्ता को वे कभी भी नहीं भूल सकते हैं। मेरा खुद का अनुभव है। मुझे एक विदेशी महिला ने कहा, जब मैं खुद भैंस का दूध निकाल रही थी। उसने पूछा कि यह कितना दूध देती है तो मैंने कहा कि हमारी भैंस पांच किलो दूध देती है, आपके यहां तो 60 किलो दूध देती है तो उसने उत्तर दिया कि हमारे 60 किलो आपके एक किलो के बराबर है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगी कि भारतीय कृषि, पौधा और भारतीय कृषकों की अपनी संरचना में, उनकी गुणवत्ता में जो ज्ञान है, उसे हम नकार नहीं सकते। मैं यह बात भी कहूंगी, जो चिन्ता वाली बात है। हमारे देश में 80 प्र ातिशत किसान कृषि से जुड़े हैं, लेकिन हमारे किसान पढ़े-लिखे नहीं हैं। इस वजह से चंद पढ़े-लिखे व्यक्ति उसके परम्परागत ज्ञान का दुरुपयोग न कर लें, ऐसी स्थिति में मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि वह उन किसानों का विशेाकर ध्यान रखें, जिन किसानों के पास परम्परागत ज्ञान की धरोहर बहुत हैं लेकिन अक्षरों का ज्ञान नहीं है जिसके माध्यम से वे अपने संपूर्ण सरकारी कार्यों को पूरा करके पौधे का रजिस्ट्रेशन करा सकें।

मेरी चिन्ता है कि प्राधिकरण का गठन हो चुका है, लेकिन उसके पश्चात पौधों की किस्मों को रजिस्टर कराने के लिए जब वे देहाती किसान वहां तक पहुंचे तो कहीं उसके आवेदन-पत्र इतने असमंजस में उलझे हुए न हों कि वे सीधे-सीधे उन्हें न समझ सके और फिर कोई बिचौलिया आकर उनके अधिकारों पर कुठाराघात कर दे। मैं सोचती हूं कि कृषि मंत्री जी अपने इस विधेयक की संरचना में जब रजिस्ट्रेशन के प्रावधान पर विचार करेंगे तो नि:संदेह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाएंगे। कुछ बीच में पढ़े हुए संभ्रांत किसान हैं। उनके बड़े-बड़े कृषि फार्म हैं, जिन पर उन्होंने अनेकों प्रकार के पौधों का संरक्षण किया हुआ है। आज जब जैव वि ि वधता और औाधियों के तहत पौधों की बात सोचते हैं तो वे ही पढ़े-लिखे और संभ्रांत किसान अपने यहां बड़ी-बड़ी वाटिकाएं और नर्सरी बना कर इस तरह के कीमती पौधों का संरक्षण कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे अपने नाम से कर लें। मैं खुद जानती हूं कि हमारे गांव में ऐसे

छोटे पौधे हैं, जो गांव में जगह-जगह उगे रहते हैं, उनका नाम मैं भी नहीं जानती,

क्योंकि बॉटेनिकल उनके नाम का उच्चारण तो मैं भी नहीं कर सकती फिर गांव का अनपढ़ किसान कैसे करेगा। हमारे यहां पर एक ऐसा पौधा है कि कितना ही गहरा घाव हो या खून की नस क्यों न कट जाए, अगर उस पौधे के रस की एक बूंद उस कटे हुए स्थान पर डाल दी जाए तो फौरन खून बंद हो जाता है जबकि डॉक्टर भी उतनी जल्दी खून नहीं रोक सकता है। ऐसे पौधे और जड़ी-बूटियों के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, गांव के अनपढ़ लोगों को उनके हकों की बातों को बताने के लिए अगर एक ऑरिएंटेशन प्रोग्राम भी इस बिल में शामिल कर लिया जाए तो मैं समझती हूं कि वे अपने हकों को और ज्ञान को सुरक्षित कर पायेंगे।

नीम के पौधे की आज संसार भर में बात होती है। हमारे यहां तो नीम वैद्यों, हकीमों की दवाओं में हमेशा काम आता रहा है तथा लोग उसको बड़े पैमाने पर रोपते रहे

हैं। आज से नहीं वरन् पुराने जमाने से हमारे लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते रहे हैं। उन अज्ञानी लोगों को चाहे यह पता नहीं था कि पीपल का पेड़ दिन-रात आक्सीजन देता है लेकिन वे उसे देवतुल्य समझते हैं। देवतुल्य उसे समझा जाता है जो मानव के जीवन को सृजित और विकास करने में सहयोग देता है। मेरा निवेदन है कि हमारे देश में ऐसे-ऐसे दूर्लभ पौधे और जड़ी-बूटियां हैं जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों में है। रामायण में तो संजीवनी की कथा सबने सुनी है। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पौध संरक्षण में की गयी है इसको पारदर्शी और सर्वग्राही बनाया जाए जिससे अनपढ़ व्यक्ति भी उसको समझ ले और अपने हकों को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ सके। मैं अपने अल्पज्ञान के माध्यम से कहना चाहूंगी भारत वह गरिमावान देश है जिसके अंदर इस तरह के पौधे हैं जो संसार भर में नहीं हैं क्योंकि भारत की जलवायु सब तरह की जलवायु को अपने अंदर समाहित किए हुए है। ऐसी स्थिति में उत्तर से लेकर दक्षिण तक व पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत की भूमि में असंख्य किस्म के पौधे हैं जिनके संरक्षण के लिए ज्ञानवर्धन की आवश्यकता है। यदि इस बिल के अंदर इस ज्ञान को संवर्धन करने के लिए कोई व्यवस्था हो और अलग से पौध संरक्षण के लिए एक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय कायम हो तो निस्संदेह कृाक लोग अपने पौध को लेकर वहां पहुंचेंगे और पौध संरक्षण में अपना योगदान करेंगे।

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : सभापति महोदय, इस बिल का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह बिल जो लाया गया है अंतर्राट्रीय और मनोपल्सिटिक सीड कोरपोरेशन के हितों के लिए लाया गया है। यह देश के किसानों और देश के लिए उपयोगी नहीं है। इस बिल में किसानों को बाजार के रूप में मान्यता नहीं है, लेकिन उत्पादक के रूप में मान्यता है। किसानों को बीज पैदा करने के लिए, बेचने के लिए अधिकार भी नहीं देता है। हमारे देश में करीब-करीब 60 मिट्रिक टन बीज की जरूरत है। इसमें नेशनल सीड कोरपोरेशन और स्टेट सीड कोरपोरेशन से करीब-करीब 15 प्रतिशत सीड की आपूर्ति होती है और बाकी 85 प्रतिशत बीज की आपूर्ति किसान ही करता है। । यह किसान के अधिकार को छीनने के लिए ही लाया गया है। बीज बेचने से जो लाभ किसान को होता है उसे वह भी नहीं होगा और पैसा भी उसके पास नहीं आयेगा।

बीजों की कई बहुराट्रीय कम्पनियां हैं। आपने इस बिल के माध्यम से खाद्य प्रणाली पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की है। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं। हमारे देश के किसान बीजों का संरक्षण करते हैं। नए बीजो के आने से किसानों के अधिकार चले जाएंगे। कृाि राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी आता है। इसलिए इस ि वधेयक को लाने से पहले राज्य सरकारों से इस विधेयक के बारे में चर्चा करना आवश्यक था लेकिन इस बारे में किसी राज्य सरकार से सहमति नहीं ली गई। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। बिल में बीजों के पेंटट करने का ग्रेस पीरियड़ 15 वर्ा रखा गया है। इतने वर्ा रखना ठीक नहीं होगा। इसे 12 वर्ा करना जरूरी है। इन सब कारणों से मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल के पास होने से देश के किसानों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री महबूब ज़हेदी (कटवा) : सभापति महोदय, इस बिल की सभी चीजों पर अभी बोला नहीं जा सकता है। इस बिल पर विचार करने के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी। साहिब सिंह जी इसके चेयरमैन थे। हमने करीब डेढ़ वर्ा तक इकट्ठे काम किया। मैं इस बिल की कुछ बातों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं डिस्सैंट पर कुछ कहना चाहता हूं। आपने इकोनॉमिक्स टाइम्स में पढ़ा होगा कि एक मल्टीनैशनल कम्पनी मुम्बई वाली एक नया बीज बना कर उसे नया नाम देकर लाने की कोशिश कर रही है। हमने इस पेपर में दी गई न्यूज की जरूरत बहुत दिनों से महसूस कर रहे थे। इस बिल की बहुत जरूरत थी मगर इसके आने में देर हो गई। इस बिल के डिस्सैंट्स के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। वह प्रिंट होकर सदन में पेश हुआ। जेनेवा में डबल्यूटीओ की मीटिंग हुई थी। वहां इसका बहुत भारी विरोध हुआ लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। सिंह साहब इस बिल से संबंधित कमेटी के चेयरमैन थे। मैं उनका बहुत आभारी हूं।

उस कमेटी में बहुत से एम.पीज़ थे। हम सब मिलकर बहुत अच्छी तरह से काम कर पाये। हमने उस समय कहा था कि नेशनल इंटरैस्ट में यह बिल ला रहे हैं। इसके पीछे कोई दबाव नहीं। चूंकि सरकार ने डब्लयू.टी.ओ. एग्रीमेंट मान लिया था, इसलिये यह बिल लाना पड़ा है। हमने कहा था कि ट्रिप को निकालो, वहीं पर दबाव हो रहा है और यह सुई-जैनेरस होगा। आजकल हाई ब्रीडिंग हो रही है। हमने तथा लगभग 47 देशों ने पेड़ की उम्र के बारे में कहा था और यह 18 साल से 15 साल कर दिया था। उन्होने तो 18 साल रखा है लेकिन आपने 12 साल रखा है जबकि हमने रजिस्ट्रेशन के समय 9 साल करने के लिये कहा था। इसमें डिस्टिंक्ट, नौवल्टी, यूनिफौर्मिटी और स्टेबिलिटी होंगे तभी रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और वे पेटेंट हो सकेंगे। हम कहते हैं कि यूनिफौर्मिटी मत रखो। यहां पर मल्टी नैशनल कम्पनीज आ रही हैं। यहां गरीब किसान बीज तैयार करेंगे लेकिन बिडर चैप्टर अलग कर दिया गया है। मैंने पहले ही कहा था कि यूनिफौर्मिटी मत रखो, मल्टीनेशनल कम्पनीज अपने हिसाब से फार्मस बनायेंगी तो गरीब किसान, मध्यवर्गीय किसान जो बीज बनायेगा, वह मुश्किल में आ जायेगा।

सभापति महोदय, जब 1956 में जब मल्टीनेशनल कम्पनीज़ भी यहां नहीं थी, तब भी मुश्किल हो गई थी। इसी बात को देखकर हमने उन चारों बातों का जिक्र किया ताकि रजिस्ट्रेशन हो और बाद में पेटेंट करा सकें। हम यह सब इसलिये कर रहे हैं कि ऊपर का पेड़ तो बचा लें लेकिन डब्लयू.टी.ओ. के साथ साइन करने के समय असली चीज चली गई। मेरी सरकार से अर्ज़ है कि इसे देखा जाये कि इस बाबत क्या करना है? मैंने इस बारे में एक छोटा सा अमेंडमेट दिया है।

MR. CHAIRMAN: You can move your amendment later.

श्री बालकृण चौहान (घोसी) : सभापति महोदय, प्रोटेक्शन ऑफ प्लान्ट वैरायटी एंड फारमर्स राइट्स बिल पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इस बिल में किसानों के हितों पर कुठाराघात किया गया है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। इसका जो टाइटल दिया गया है - दि प्रोटेक्शन ऑफ प्लान्ट उसके अनुसार किन पौधों का संरक्षण होना चाहिए, कौन से पौधे खतरे में पड़े हुए हैं और कृाकों के कौन से अधिकारों की सुरक्षा की बात यहां की जा रही है, जो अब तक उन्हें नहीं दिये गये हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो बिल लाया गया है, इसमें सदियों से जो किसान का परम्परागत और प्राकृतिक बीजों का संरक्षण करने का और बीजों को सुरक्षित करने का अधिकार है, हमेशा से बीजों को बेचने का पुश्तैनी अधिकार रहा है, उसमें कटौती करके यह कहना कि किसानों के अधिकारों का हम संरक्षण करने जा रहे हैं, विरोधाभास पैदा कर रहा है। सदियों से किसान अपने बीजों को बोता आया है, उन्हें बचाता आया है और उनका अपने हिसाब से उपयोग करता आया है, उसके इस अधिकार पर अंकुश लगाया जा रहा है और अंकुश लगाने के बावजूद यह कहा जा रहा है कि उसके अधिकारों को सुरक्षित किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस बिल का नाम प्रोटेक्शन ऑफ प्लान्ट ब्रीडर्स राइट्स बिल होना चाहिए। यह कहीं से भी किसानों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। बहुराट्रीय कम्पनियां डब्ल्यू.टी.ओ. के तहत अपना शिकंजा सरकार पर लगाकर अपने हितों की पूर्ति के लिए यह कानून लागू कराना चाह रही हैं। जैव तकनीक की कम्पनियों में अमरीकी डेल्टा कम्पनी ने वहां 120 अरब डॉलर विनिवेश किए हुए हैं और उससे जो बीज पैदा होते हैं वे केवल पहले साल में 20 प्रतिशत अधिक उपज देते हैं। बाद में उपज घटती चली जाती है।

सभापति महोदय, आज फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान बीजों का है। अगर बीज विदेशी कंपनियां अपने शिकन्जे में ले लेंगी तो यहां की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। जिस देश की खाद्य सुरक्षा सुरक्षित नहीं रहती है, वह देश सुरक्षित नहीं रह पाता है। इसकी मिसाल आप इतिहास में देख सकते हैं। अंग्रेजों के जमाने में हमारी खेती पर अंग्रेजों का अंकुश था। उस समय हर चीज के लिए लाइसेन्स लेना पड़ता था, तम्बाकू, अफीम और आदि चीजों की खेती उनकी औपनिवेशिक आ वश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कराई जाती थी। अंग्रेजो को जिस चीज की जरूरत होती थी, वे किसानों को बाध्य करते थे कि उन्हें इसी चीज की खेती करनी है। वही स्थिति अब आने वाली है। बहुराट्रीय कम्पनियों के हाथ मे बीजों का अधिकार आ जायेगा, उन्हें उनके रेट पर खरीदने की मजबूरी किसान की हो जायेगी। इसमें दूसरी बात यह है कि उन बीजों को आप दोबारा नहीं बो सकते। इसलिए किसान अगर उनसे बीज नहीं खरीदता है तो वह कम्पनी उसे जेल और जुर्माना करवा

सकती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल पर

पुनर्विचार करे और किसानों के हितों के लिए सोचे और इनकी पुरानी पुश्तैनी परम्परा को कायम रखने के लिए इतिहास में देखे। अंग्रेजों के जमाने में जब खेती और किसानों के लिए कानून बनाने का अधिकार उनके हाथों में था तो भूख और अकाल से करोड़ों जानें गईं। उन्होंने ऐसा किया था। अब पुन: हमारे देश के कानून के द्वारा ही बहुराट्रीय कम्पनियों का फायदा होने जा रहा है। पूरी दुनिया में हर जगह की अपेक्षा किसानों की संख्या यहां ज्यादा है।

विदेशों में किसानी एक प्रतिशत लोग करते हैं जबकि यहां 70 प्रतिशत लोग किसानी पर निर्भर हैं इसलिए उनके जीवन के साधन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। किसानी और खाद्य की सुरक्षा की गारंटी के लिए पुनर्विचार करके सरकार को अपनी आत्मा की सोच के आधार पर डब्लूटीओ के अंतर्गत ट्रिप्स के आधार पर दबाव में कोई कानून लागू नहीं करना चाहिए।

अभी पिछले दिनों डब्लूटीओ के तहत जो मात्रात्मक प्रतिबंध आपने हटाया था, उसको रोकने के लिए फिर आपको बिल लाना पड़ा। ऐसा फिर न करना पड़े और बार बार अपनी खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालकर पुनः कोई बिल न लाना पड़े इस पर पुनः सोच विचार करने का मैं सरकार से निवेदन करता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदया, संयोग से आप चेयर पर हैं और संयोग से हमारे सदन की मीना बहिन भी थीं। स्त्री का अंतःकरण ही अलग होता है, उसमें प्रेम होता है। लड़का कैसा भी हो लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा प्रेम करती है। यह मां का अंतःकरण होता है। लेकिन महोदया, यह बिल नकली प्रेम है, मगरमच्छ के आंसू है। आज किसान इतना होशियार हो गया है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसान अच्छी तरह से पौधा पैदा करते हैं और बाहर के देशों में भी भेजते हैं. यह बिल लाने की क्या जरूरत थी, मुझे समझ में नहीं आया। सरकार को कोई दूसरा काम नहीं है। किसान बहुत मजबूर है, मंडी अच्छी नहीं है, दाम अच्छे नहीं मिलते हैं, अकाल आता है, सिंचाई के साधन नहीं हैं, इस बारे में कोई सोचता नहीं है।

महोदया, मैं जब विधायक था उस वक्त बाहर की कंपनियों ने हमारे यहां पौधे दिये थे और एक भी पौधा अच्छा नहीं निकला। मैं ने विधान सभा में बहुत शोर मचाया और उस कंपनी ने पैसे भी वापस दिये। मैं कोंकण गया था। वहां ऐसी रीति है कि आम के लिए दवाई देते हैं कि अच्छा फल आए। पहले तो वह दवाई सस्ती देते हैं फिर इतनी महंगी कर दी और उस दवाई के बिना आम भी नहीं आते हैं। इसलिए यह पूतना सा प्रेम है, मगर के आंसू हैं। हमारे उधर के मित्र स्वदेशी जागरण कहकर बोलते हैं, मगर इनकी कथनी और करनी में अंतर है। बुद्धि तो बहुत लोगों के पास है लेकिन किसान को साधन देने चाहिए। भारत के किसान इतने मजबूत हैं कि वे प्र ागति की राह पर हैं मगर उनको सुविधा दीजिए। किसान के हाथ से नर्सरी बनाते हैं, दूसरी मजदूरी का काम करते हैं, वह मजदूर बेकार हो जाएगा अगर इधर उधर का माल आएगा। इसलिए इस बिल का मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि इस बिल की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Madam, please allow me.

MR. CHAIRMAN : Shri Palanimanickam, the debate is over. You have come now and you are giving your name on the list.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Madam, I will take one minute. It is a very important thing. I have a question to ask.

MR. CHAIRMAN : Please ask the question to the hon. Minister. I am calling the hon. Minister to give his reply.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU (TENALI): Madam, please allow me.

MR. CHAIRMAN : No, I am sorry. I called your name twice. You were not in the House. I cannot keep going back to the list. Shri Palanimanickam, please ask your question.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Madam, I have gone through this Bill on Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights. The Establishment Authority has nine members in which there is no representative of farmers. How can they protect the farmers' rights? I want the hon. Minister to consider this aspect. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, the hon. Member has raised a very important point for your consideration.

Shri Prabodh Panda to speak now.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you Madam. You have called my name earlier. I am sorry that I was not here as I had to go to hospital.

MR. CHAIRMAN: Shri Panda, you can just raise two or three points. The hon. Minister is about to reply. You were not in the House and I called other speakers in your place. So, you please raise whatever points you want to raise. There is no need for a detailed speech.

SHRI PRABODH PANDA : Yes, madam. I would like to be very brief.

My point is that the JPC on this Bill did not serve the purpose. They made some amendments. I thank them for this. As per the amendments they cleared many things. There is one chapter for protection of the farmers in general which has been inserted there. I rise to oppose the Bill, even as amended because it did not serve the purpose. I think that agriculture is a State subject. So, before going to adopt the Resolution, the States should be taken into confidence and they should be asked to send their views. This is as per the federal structure of our constitution.

My second point is that it is said that the Bill has been made under international obligations. I think this is not required. The part or the wordings about 'international obligation' should be deleted.

My next point is that this Bill does not take into account the biodiversity of our country. I am of the opinion that the peasants and farmers in general are the main breeders and they breed thousands of varieties. This Bill will curtail

their rights. It is not only that but we should also see the policy of the multi-national corporations. Through this Bill the multi-national corporations are getting entry and our food security will be jeopardised.

I oppose this Bill. I think this Bill should be referred to the States for seeking their views.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHRIPAD YASSO NAIK): Thank you Madam. The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Bill, 1999 was introduced in the Lok Sabha on 14th December, 1999. Thereafter, the Bill was referred to a Joint Committee of both the Houses of Parliament (JPC) comprising of 20 Members from the Lok Sabha and 10 Members from the Rajya Sabha under the Chairmanship of Shri Sahib Singh. The Joint Committee presented its report to the Lok Sabha and Rajya Sabha on 25th August, 2000. The JPC visited 15 States and recorded oral evidence of representatives of farmers, experts, individuals etc. and received 132 memoranda containing suggestions.

16.00 hrs.

The Joint Committee have revised the Bill based on their extensive interaction with the representatives of farmers, experts, individuals etc., during their visit to various States.

The revised "Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Bill, 2000" provides prominence to protection of 'Farmers' Rights'. A separate chapter relating to 'Farmers' Rights' entitles a farmer the same level of protection as in the case of breeder if he has bred a new variety. Farmers' variety, like other extant varieties will also be entitled for protection. A farmer, who is engaged in conservation of genetic resources of land races, wild relatives etc., is also entitled for recognition and reward. The farmers' rights also include his traditional rights to save, use, sow, re-sow, exchange, share or sell his farm produce including seed or a variety, protected under this Act, with the exception that he will not be entitled to sell branded seed of a protected variety. There are other unique features like protection extended to farmers for innocent infringement and compensation to be given to farmers if the registered variety does not meet the promised level of performance under given conditions.

The concept of Plant Breeders' Rights arises from the need to provide incentives to plant breeders engaged in the creative work of research which sustains agricultural progress through returns on investments made in research and to persuade the researcher to share the benefits of his creativity with society. A system of plant breeders' rights encourages better and mission-oriented research for development of varieties that are fully suited to a given agro-climatic region.

India has developed commendable strength in agricultural research. Indian breeders working mainly in the public research system have developed a large number of new varieties. In the absence of plant breeders' rights, these varieties would be freely available to others for exploitation. New varieties developed on the basis of these varieties could get protected in other countries without any benefit accruing to Indian institutions/organisation, whereas the availability of varieties developed in countries which provide for plant breeders' rights would be restricted in India.

The objective of the proposed legislation is to give a significant thrust to agricultural growth by providing an effective system for the protection of plant varieties and farmers' rights which will stimulate investments for research and development both in the public and the private sectors for the development of new plant varieties by ensuring appropriate returns on such investment. It will also facilitate the growth of the seed industry in the country through domestic and foreign investment, which will ensure the availability of high quality seeds and planting material to Indian farmers. The proposed legislation recognises the role of farmers as cultivators and conservers and the contribution of traditional, rural and tribal communities to the country's agro-biodiversity by rewarding them for their contribution through benefit sharing and protecting the traditional rights of farmers.

The debate has raised several important issues. I would like to reiterate that the Bill recognises the role of the farmer as breeder and conserver of varieties. The Bill protects the traditional knowledge and rights of farming and tribal communities and I wish to reassure you that we are fully committed to the interests of the farmer.

The present title "Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Bill" suggests that rights of breeders of plant varieties who are also seed producers are protected along with rights of farmers.

The revised Bill furnished by JPC incorporates representatives of SAU's besides representatives from Seed Industry, Tribal Organisation, National or State- level Women's Organisation and National or State-level Farmers' Organisation. Besides, the Chairman can appoint any committee, as may be needed, with experts from different fields.

Presently, clause 7 prescribes that the Chairman shall be the Chief Executive of the Authority and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed. Since Chairman in his capacity as Chief Executive of

the Authority will be performing administrative nature of work, it was felt that the details of his functions may not be prescribed in the Act, which can be elaborated in the subordinate legislation.

In the original Bill of 1999, the appeals from Authority would directly go to High Court. However, in the revised Bill, provision of Tribunal having members with legal and technical experts has been provided. Appeals can be preferred to the Tribunal within the prescribed period, on any order or decision of the Authority or Registrar as prescribed in clause 56(1) of the Bill. However, in the course of natural justice, any decision of the Tribunal can be referred to the Supreme Court.

As the process of registration involves testing of variety for distinctiveness, uniformity and stability, the cost of seed may increase. However, this increase may not be substantial. Further, IPR to the breeder will encourage the seed industry to earmark extra funds for varietal development and breeding of new high-yielding varieties with other superior agronomic traits. In the long run, availability of quality seeds will be more....(*Interruptions*)

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Madam, we need clarification. The Minister seems to be in a great hurry to get over this. The Minister of Agriculture should come here. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : What is your objection?

SHRI AJOY CHAKRABORTY : If the Minister of Agriculture is in the other House, we have nothing to say. If he is not there, he has to come here. It is a very important Bill....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: It is the Minister's maiden appearance as a Minister! Do not disturb him. Let him try to answer the points. He is answering your questions.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : This shows the attitude of the Government....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Everybody has to make a start. He is replying to the questions. Be patient. Give him a little time.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Madam, every party is represented in the Committee....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The Minister is quite capable of defending himself. Why are you defending him? I am here. I am dealing with it.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : The Minister of Agriculture should come here.

MR. CHAIRMAN: He is also the Minister. You please listen to his reply.

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : मंत्री जी इतना अच्छा उत्तर दे रहे हैं, आप इनके उत्तर को सुनें।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मंत्री जी को अपनी बात पूरी कहने दो।

SHRI AMAR ROY PRADHAN (COOCHBEHAR): The question is, it is a very important Bill and naturally we expect the hon. Minister of Agriculture to be here.

SHRI SHRIPAD YASSO NAIK: It is true that intensive breeding for uniformity and stability may lead to shrinking of plant bio-diversity. Therefore, in the proposed legislation provisions have been kept for encouraging and supporting the conservation and sustainable use of genetic resources including *in situ* and *ex situ* collections from the National Gene Fund. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: This has come from the Committee. It was referred to the Committee and after detailed study it has come back to the House. All parties were there on the Committee.

SHRI SHRIPAD YASSO NAIK: Madam, Shri Mahboob Zahedi has raised specific points relating to the need for mentioning the TRIPS Agreement in the Preamble of the Bill, period of protection and the need to redefine the criteria of protection. I would like to point out to Shri Zahedi that the need to mention TRIPS in the Preamble is essential for legal and constitutional reasons. The period of protection that is envisaged in the Bill has been acknowledged to be the minimum period all over the world. Forty-seven countries which have similar legislations, have the same same period of protection − 18 years for trees and 15 years for crops. The criteria of protection in the Bill too are accepted all over the world.

Madam, I request that the House may consider the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Bill, 2000, as reviewed by the JPC with amendments proposed by my Ministry, and pass the same.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, if the House agrees, within 5-10 minutes we will pass this Bill. Then, we will go on to the next item, that is, Discussion under rule 193.

SEVERAL HON. MEMBERS: Right Madam.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

The question is:

> "That the Bill to provide for the establishment of an effective system for the protection of plant varieties, the rights of farmers and plant breeders, to encourage the development of new varieties of plants, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause-by-clause consideration.

Clause 2 Definitions

SHRI MAHBOOB ZAHEDI (KATWA): I beg to move:

Page 2,--

> o*mit* line 3 (3)

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. 3 moved by Shri Mahboob Zahedi to vote.

The amendment was put and negatived.

Amendment made:

MR. CHAIRMAN: There is an Amendment by the hon. Minister.

Page 2, line 37,--*omit* "either" (14)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR CHAIRMAN: The question is:

> "That clause 2, as amended, stand part of the Bill. "

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 3 − Establishment of Authority

Amendment made:

Page 5, line 2,--for "which" substitute "whom" (15)

> "Page 5, lines 8 and 9,--omit "The allowances for non official members for attending the meeting as prescribed." (16)
>
> Page 5, lines 25-26,--omit "at the meeting". (17)
>
> (Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 3, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

Clause 6 - Officers and Employees of Authority

Amendment made:

Page 6, lines 6 and 7,--*for* "the scale of pay" *substitute* "salary" (18)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 6, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8 - General Functions Authority

Amendment made:

Page 6, line 32,-- for "ensure the maintenance of the National Register of plant variety" substitute "ensuring the maintenance of the Register". (19)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 8, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8, as amended, was added to the Bill.

Clauses 9 to 14 were added to the Bill.

Clause 15- Registrable Varieties

MR. CHAIRMAN : There are amendments no. 5 and 6 to clause 15 in the name of Shri Mahboob Zahedi.

SHRI MAHBOOB ZAHEDI (KATWA): I am not moving the amendments.

MR. CHAIRMAN: There are two Government amendments to this Clause.

Amendments made:

Page 8, line 6, omit "made by the Authority". (20)

Page 8, line 21, for "commonly known" substitute "common knowledge".

(21)

(Shri Shripad Yasso Naik)

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I would like to say that these amendments are all in pursuance of the recommendations made by the Committee. So, the Bill is being amended to that extent.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 15, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 15, as amended, was added to the Bill.

Clause 16 was added to the Bill.

Clause 17- Compulsory Plant Variety Demomination

Amendment made:

Page 9, line 28, *for* "provided" *substitute* "specified". (22)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 17, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

Clause 18- Form of Applicant

Amendment made:

Page 10, line 7, -- *for* "application in such" *substitute* "application shall be in such". (23)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 18, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you may please be little bit more alert. You may have to move amendments.

...(*Interruptions*)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, मंत्री जी को जल्दी क्या है? वह सीट से उठ कर बोलें।

सभापति महोदयः आप जोर से बोलिए।

श्री श्रीपाद येसो नाईक : मैंने बोला है।

सभापति महोदयः बहुत से क्लॉसिज हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुनने की कोशिश करो। इसमें 80 क्लॉसिज हैं।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, you have to help the young Minister. He is a new and young Minister. You all have to be a little bit patient.

...(*Interruptions*)

Clause 19 - Test to be conducted

Amendment made:

Page 10, line 25, *for* "under" *substitute* "referred to in". (24)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 19, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 19, as amended, was added to the Bill.

Clause 20 was added to the Bill.

Clause 21 − Advertisement of Application

Amendment made:

Page 11, line 5,-- *for* "on the" *substitute* "on any of the". (25)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN (SHRIMATI MARGARET ALVA): The question is:

"That clause 21, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 21, as amended, was added to the Bill

Clauses 22 and 23 were added to the Bill.

Clause 24- Issue of Certificate of Registration

MR. CHAIRMAN: There are amendments to Clause 24 moved by Shri Mahboob Zahedi and Shri Anil Basu which I presume they are not moving.

Amendment made:

Page 13. line 17,-- *omit* "aggregate". (26)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 24, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 24, as amended, was added to the Bill.

Clause 25 was added to the Bill.

Clause 26 - Determination of benefit sharing by Authority

Amendments made:

"Page 13, line 33, - *for* "or non-governmental organisation" *substitute* "or firm or governmental or non-governmental organisation". (27)

"Page 13, --*after* line 35, - *insert* "Provided that such claim shall only be submitted by any-

i. person or group of persons, if such person or every person constituting such group is a citizen of India; or
ii. firm or governmental or non-governmental organisation, if such firm or organisation is formed or established in India". (28)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 26, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 26, as amended, was added to the Bill.

Clauses 27 and 28 were added to the Bill.

Clause 29- Exclusion of certain varieties

Amendments made:

Page 16, line 9, --*for* "under sub-section (2) above" *substitute* "in sub-section (2)". (29)

Page 16, line 11,-*omit* "including". (30)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR.CHAIRMAN: The question is:

"That clause 29, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 29, as amended, was added to the Bill.

Clause 30 was added to the Bill.

Clause 31- Special Provisions relating to application

for registration from citizens of convention

countries

Amendment made:

Page 17, lines 3 and 4,--for "the last preceding sub-section" substitute "sub-section (2)". (31)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 31, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 31, as amended, was added to the Bill.

Clauses 32 and 33 were added to the Bill.

Clause 34- Revocation of Protection on

Certain grounds

Amendment made:

Page 18, line 6, -- omit "provisions of" (32)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That clause 34, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 34, as amended, was added to the Bill.

Clause 35- Payment of annual fee and forfeiture

of registration in default thereof

Amendment made:

Page 18, line 15, -- for "and after" substitute, "by" (33)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 35, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 35, as amended, was added to the Bill.

Clause 36 was added to the Bill.

Clause 37 - Correction of Register

Amendment made:

Page 19, line 2, -- for "and any" substitute "and may" (34)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 37, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 37, as amended, was added to the Bill.

Clause 38 was added to the Bill.

Clause 39- Farmers' right

Amendments made:

Page 19, line 28, -- omit "a farmer" (35)

Page 19, line 29, -- for "Who" substitute "a farmer who" (36)

Page 19. Lines 31 and 32, -- for "as specified in the Article 18(h)" substitute "if it contains declaration as specified in clause (h) of sub-section (1) of section 18" (37)

Page 19, line 33, -- for "who" substitute "a farmer who" (38)

Page 19, line 39, -- for "Shall" substitute "a farmer shall" (39)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 39, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 39, as amended, was added to the Bill.

Clauses 40 to 42 were added to the Bill.

Clause 43- Authorisation of farmers' variety

Amendment made:

Page 21, line 8 and 9, -- for "section 28 and sub-section (6) of section 23" substitute "sub-section (6) of section 23 and section 28". (40)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 43, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 43, as amended, was added to the Bill.

Clause 44 was added to the Bill.

Clause 45- Gene Fund

Amendment made:

Page 21, line 41, -- for "other expenditures", substitute "expenditure". (41)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 45, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 45, as amended, was added to the Bill.

Clause 46 was added to the Bill.

Clause 47- Power of Authority to make order

For compulsory licence in certain

circumstances

Amendment made:

Page 22, line 37, -- for "such licence under sub-section (3) of section 29" substitute "the title of such application as licensee under sub-section (4) of section 28". (42)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 47, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 47, as amended, was added to the Bill.

Clauses 48 to 54 were added to the Bill.

Clause 55 - Composition of Tribunal

Amendment made:

Page 24, line 9, --omit "this" (43)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 55, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 55, as amended, was added to the Bill.

Clause 56 - Appeals to the Tribunal

Amendments made:

Page 24, line 38, --for "registration" substitute "order or

decision of the Registrar relating to registration" (44)

Page 24, --for line 39, substitute "(c) order or decision of

the Authority relating to claim for benefit sharing;" (45)

(Shri ShripadYasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 56, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 56, as amended, was added to the Bill.

Clause 57 was added to the Bill.

Clause 58 - Procedure of Tribunal

Amendments made:

Page 25, lines 18 to 20, --*omit* "the point shall be decided

according to the opinion of the majority, if there is a majority,

but if the members are equally divided," (46)

Page 25, line 32, --*for* "measuring" *substitute* "meaning". (47)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 58, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 58, as amended, was added to the Bill.

Clauses 59 to 61 were added to the Bill.

Clause 62- Budget, accounts and audit

Amendment made:

Page 26, line 36, --*for* "Auditor General" *substitute*

"Auditor-General of India." (48)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 62, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 62, as amended, was added to the Bill.

Clauses 63 to 66 were added to the Bill.

Clause 67 - Opinion of Scientific Advisor

Amendment made:

Page 27, line 35, -- *for* "enquire" *substitute* "inquire into" (49)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 67, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 67, as amended, was added to the Bill.

Clauses 68 to 70 were added to the Bill.

Clause 71- Penalities for selling varieties to

which not authorised or to which false denomination is applied etc.

Amendment made:

Page 29, line 2,-- *for* "power" *substitute* "possession" (50)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 71, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 71, as amended, was added to the Bill.

Clauses 72 to 81 were added to the Bill.

Clause 82- Evidence of entry in register, etc.

And things done by the authority

And the registrar.

Amendment made:

Page 31, line 46, *for* "Registrar or the Authority",

s*ubstitute* "Authority or Registrar" (51)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 82, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 82, as amended, was added to the Bill.

Clauses 83 to 87 were added to the Bill.

Clause 88 - **Protection of action taken in good faith**

Amendment made:

Page 32, line 28, -- *for* "done in good faith", *substitute,* "in

good faith done". (52)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That clause 88, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 88, as amended, was added to the Bill.

Clauses 89 to 92 were added to the Bill.

Suspension of Rule 80(i)

SHRI SHRIPAD YASSO NAIK: I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.53 to the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Bill, 2000 and that this amendment may be allowed to be moved."

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): The Bill was referred to the Parliamentary Committee. It was crystal clear that such a situation may arise. Then, why should the Minister come with an amendment at this stage? It was thoroughly examined by the Committee. What is the necessity for bringing an amendment in the procedure? It is an uncommon thing.

MR. CHAIRMAN: This is a technical requirement for the record and procedure.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No.53 to the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Bill, 2000 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

—

MR. CHAIRMAN: There is an adoption of New Clause 92A. That is why this motion was brought before the House.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : But the Committee has not recommended this.

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, the hon. Member wants to know what this clause is about.

SHRI SHRIPAD YASSO NAIK: Madam, this is about power of Central Government to give directions.

MR. CHAIRMAN: That is all. There is no objection to that. You cannot object to it.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : My argument is that they should have anticipated this.

MR. CHAIRMAN: It was left out. So, with due permission, he has introduced the amendment.

...(*Interruptions*)

New Clause 92A- Power of Central Government

To give directions

Amendment made:

Page 32, *after* line 45, *insertâ€"*

Power of Central Government "92A. The Central Government may

to give directions. give directions to the Authority as it

may think necessary in the public

interest for the execution of all or any

of the functions of the Authority under

any provisions of this Act or rules and

regulations made thereunder." (53)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That new clause 92A be added to the Bill".

The motion was adopted.

New clause 92A was added to the Bill.

Clause 93 was added to the Bill.

Clause 94- Power to make regulations

Amendments made:

Page 33, line 6, -- for "of this Act", Substitute "matters,

namely:--" (54)

Page 33, line 15, -- *for* "of variety" *substitute* "to a plant

variety" (55)

Page 33, line 23, -- *omit* "to specify" (56)

Page 33, line 24, -- *for* "under" *substitute* "to be specified

under sub-section (1) of". (57)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 94, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 94, as amended, was added to the Bill.

Clause 95 − Power of Central Government to

Make rules

Amendments made:

Page 33, line 38, for "under sub-section (7)" substitute "and the allowances for non-official members for attending the meeting under sub- section (8)". (58)

Page 33, line 46, *for* "scale of pay" *substitute* "salary" (59)

Page 34, *after* line 7, *insert â€"*

"(viia) the orders by the Authority or the Registrar as to cost under clause (b) of section 11;". (60)

Page 34, line 21, *for* "provision to section (1)" *substitute* "the proviso to clause (1) of sub-section (1)" (61)

Page 34, lines 24-25, *omit* "referred to in sub-section (1)," (62)

Page 34,-- *for* lines 29 to 31, *substitute* "(xvii) the manner of giving notice and the fee payable therefor under sub-section (2) of section 21;" (63)

Page 34,--*omit* lines 36 and 37. (64)

Page 35, *after* line 9, *insert* "(xxiva) the fee for review and renewal under sub-section (6) of section 24;" (65)

Page 35,--*omit* lines 17 and 18 (66)

Page 35, line 24, *for* "under" *substitute* "under the proviso to" (67)

Page 35, *for* lines 40-41, *substitute* "(xxxviii) the manner of issuing notice to registered breeder of a variety or his successor or to each registered agent or registered licensee (not being the applicant) under sub-section (10) of section 28;" (68)

Page 36, *after* line 21, *insert* "(lia) the manner of recognition and reward from Gene Fund under clause (iii) of sub-section (1) of section 39;", (69)

Page 36, *for* lines 24 and 25, *substitute* "(liii) the manner of issuing notice and filing objection under sub-section (3) of section 41;

(liiia) the manner of receiving benefit sharing under clause (a) of sub- section (1) of section 45;

(liiib) the manner of applying Gene Fund under sub-section (2) of section 45;". (70)

Page 36, line 32, *for* "under", *substitute* "under sub-section (1) of', (71)

Page 36, *omit* lines 36 to 41 (72)

(Shri Shripad Yasso Naik)

SHRI MAHBOOB ZAHEDI (KATWA): Such a big list of amendments has come from the Government. It is a very good way of doing it. If the entire draft Bill comes from the Government, then we will discuss the matter....(*Interruptions*)

MR. CHAIRAN: You have to compliment the Government for accepting all the amendments.

The question is:

"That clause 95, as amended, stand part o the Bill."

The motion was adopted.

Clause 95, as amended, was added to the Bill.

Clause 96 was added to the Bill.

Clause 1- Short title, extent and commencement

Amendment made:

Page 1, line 6,--*for* "2000" *substitute* "2001" (13)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,--*for* "Fifty-first Year" *substitute* "Fifty-second Year" (12)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Preamble was added to the Bill.

SHRI MAHBOOB ZAHEDI : Such a big list of amendments has come from the Government side. Then, why has the new draft Bill been given by the Government? Our Standing Committee can discuss the matter again. ...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): All the amendments are from the Government side. The Government has adopted all the suggestions made by the Standing Committee. So, the number of amendments is big.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (GUNA): I am grateful to the hon. Minister of Parliamentary Affairs for having clarified it. I hope he will maintain the same respect for all the Reports of the Standing Committees.â€¦ (*Interruptions*)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: All the Reports of the Standing Committees are honoured to the extent of 99.99 per cent. ...(*Interruptions*) You are not listening to me. What can I do? In respect of Reports pertaining to legislations, we are honouring it to the extent of 99 per cent.

Long Title

Amendment made:

Page 1,--*for* "to encourage" *substitute* "and to encourage" (11)

(Shri Shripad Yasso Naik)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Long Title, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

The Long Title, as amended, was added to the Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHRIPAD YASSO NAIK): I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The Motion was adopted.